

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प-----

प्रपत्र -8

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी-----भन्नीज----- व भू.अ.नि.-----
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार-----दांतारामगढ़-----/नायब तहसीलदार-----सुरेश व जीवगुप्त----- की अनुशंसा

के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम-----सुरेश व जीवगुप्त-----
तहसील दांतारामगढ़ व जिला सीकर की जमाबंदी संवत्-----२०६६-६९-----में खाता संख्या-----२१, ३, ३, २-----
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
१.	सुरेश पं.भ. भन्नीज	२१	विशाल सिंह अ. हजमान सिंह	नरेन्द्र सिंह अ. हजमान सिंह
२.	सुरेश पं.भ. भन्नीज	३	विशाल सिंह अ. हजमान सिंह	नरेन्द्र सिंह अ. हजमान सिंह
३.	जीवगुप्त पं.भ. भन्नीज	३	विशाल सिंह अ. हजमान सिंह	नरेन्द्र सिंह अ. हजमान सिंह
४.	जीवगुप्त पं.भ. भन्नीज	२	विशाल सिंह अ. हजमान सिंह	नरेन्द्र सिंह अ. हजमान सिंह

(जगदीश प्रसाद गौड़)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत

क्रमांक:- 330-331
प्रतिलिपि- २७/७/१६

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़
दिनांक:- १९ अक्टू, २०१६

1. तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री नरेन्द्र सिंह अ. हजमान सिंह राजस्थान सि. सुरेश को सुचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़